

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉची/हजारीबाग/यॉ० संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यालय अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 16/12/19

विषय :— वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 49S27010300107 अन्तर्गत 8 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रु 71.05 लाख (एकहत्तर लाख पाँच हजार रुपये मात्र) अतिरिक्त राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट मुख्य शीर्ष 2701— मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701—मध्यम सिंचाई	03— मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001—निदेशन तथा प्रशासन / 07—मध्यम सिंचाई परियोजना	71.050

कुल आवंटित राशि — रुपये एकहत्तर लाख पाँच हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध राशि ₹ 11206.80 लाख (एक सौ बारह करोड़ छः लाख अस्सी हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98,1800 (वि.) दि. 15.07.2003,1362 दि. 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त खाता अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।

9. वित विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।

11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यापर्ण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यापर्ण प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Access No** एवं **Revoke/Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।


13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित खाता यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य खाता यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।


16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनु. :- यथोक्त


(अरुण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 177

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. -हिनूरॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर /सिमडेगा/ हजारीबाग/राजमहल सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु. :- यथोक्त


(अरुण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक :- 177

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पांच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव


(अरुण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लम्ह शीर्ष-001-नितेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना
मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

पत्रांक..... 16/112/19 दिनांक..... का अंतिमन्त्रक

परिसेवा I

क्रमांक	वित्तीय वर्ष 2019-2020	वेतन	विस्तृत शीर्ष-01-देवन एवं नवे		विस्तृत शीर्ष-02- शास्त्र एवं विज्ञान एवं		विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक एवं		विस्तृत शीर्ष-04- नियन्त्रणात्मका विभाग एवं मन्त्रालय		विस्तृत शीर्ष-05- गोपनीय विभाग एवं मन्त्रालय		विस्तृत शीर्ष-06- गोपनीय विभाग एवं मन्त्रालय		
			कर्मसुख वाला नाम	पित्र	क्रमांक	वर्ष	कार्यालय एवं क्रियाएवं	कर्मसुख एवं कार्यालय एवं क्रियाएवं	आवृत्ति एवं सामग्री	दूसरा वर्ष	वर्दी	विस्तृत एवं विभाग	विस्तृत एवं विभाग	विस्तृत एवं विभाग	
1	2	3	कर्मसुख वाला नाम	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	मुख्य अधिकारी वालीक, रोडी	28,000	पूर्व का आवंटन	0,000	0,000	0,200	1,050	0,000	0,250	0,250	0,000	0,900	1,000	0,000	31,650
2	लम्हांकण अधिकारी एवं रोडी	178,000	पूर्व का आवंटन	0,000	0,400	0,200	0,500	0,000	0,050	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	179,550
3	लम्हांकण अधिकारी एवं देवधर	66,000	पूर्व का आवंटन	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	66,400
4	सिंचाई अधिकारी एवं रोडी	180,000	पूर्व का आवंटन	0,000	0,000	0,900	0,600	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,400	0,200	182,150
5	जलसंक प्रांडल से-2	314,000	पूर्व का आवंटन	0,000	0,400	0,900	0,650	0,000	0,100	0,100	0,000	0,500	0,000	0,300	316,950
6	जलसंक प्रांडल से-1	308,000	पूर्व का आवंटन	0,000	0,400	0,200	0,000	0,200	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650	311,450
7	पुनर्वास पदाधिकारी	67,000	पूर्व का आवंटन	0,000	0,000	0,200	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,100	67,800
8	पुनर्वास पदाधिकारी, नियन्त्रण विभाग वालीजना, रोडी	108,000	पूर्व का आवंटन	0,000	0,000	0,200	0,250	0,000	0,050	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	108,300
	अतिरिक्त आवंटन का योग	62,000	पूर्व का आवंटन	0,000	0,300	2,400	0,950	0,000	0,650	0,250	0,000	0,200	0,000	0,300	71,050

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध-14/2010-39/वज्रट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शूद्ध मानते हुए नये सिरे से विप्रतीकरण के आवार पर ही मुश्तान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटन राशि-

रुपये एकहस्त लाख पॉच हजार मात्र

राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अधि०)

(संतोष नायक उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अलंकुर युवाराज सिंह)
अपर मुख्य सचिव
(१२.१२.१७)